A 3/1 (2)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन
बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

रेफरेन्स संख्या 20/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/92

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी।

अप्रार्थी
भूरदास पुत्र बालदास जाति साद निवासी पाचवां तहसील कुचामन।

अधिवक्ताः–
1. राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी प्रार्थी की ओर से।
2. समन्दर सिंह नाथावत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232

निर्णय

दिनांकः 30.07.2024

प्रार्थी (तहसीलदार, कुचामन सिटी) ने रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं अधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है।

इस रेफरेन्स के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मिसल बंदोबस्त संवत् 2008 मौजा पाचवां के खसरा नं. 602 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नाड़ी दर्ज थी। उक्त आराजी में से 01 बीघा भूमि को नामांतरकरण सं. 526 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेशानुसार आवंटन/नियमन द्वारा श्री भूरदास पुत्र बालदास जाति साद सा0 पांचवा के नाम खातेदारी दर्ज किया। जो वर्तमान में अप्रार्थी काबिज दर्ज खातेदार है, जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है।

अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज करवाये जाने की इच्छा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

A 3/7 (22)

प्रार्थी (तहसीलदार, कुचामन सिटी) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त अप्रार्थी की ओर से श्री समन्दर सिंह नाथावत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। चूंकि उक्त पत्रावली क्षैत्राधिकार परिवर्तन होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना से स्थानान्तरित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी को दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई मर्तबा निर्देशित किया गया। लेकिन अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए पत्रावली को गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु प्रस्तावित की गयी।

राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी का मुख्य कथन है कि :-

- विवादित भूमि गैरमुमकिन नाडी दर्ज सुदा रही है जो जल स्त्रोत की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है।
- उक्त भूमि सार्वजनिक महत्व और लोक उपयोग की भूमि होने से न तो यह आवंटन ही की जा सकती थी और न ही नियमन ही की जा सकती थी।
- उक्त भूमि की किस्म गे. मु. तालाब, नाडी, नालादि प्रथम भू-प्रबन्ध में अंकित है तथा शासकीय भूमि है अतः उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। जैसा कि Ram Pratap Vs LRs of gaganath 1986 RRD 585 में उल्लेख किया गया है कि :-

"तलाई से ग्राम के मनुष्य व पशु पानी पीते है और तलाई की भूमि धारा 16 (टप) राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार एक ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक कार्य में आती है और इस प्रकार की भूमि को 1970 के आवंटन नियमों के नियम 40) के अनुसार आवंटित/नियमन नहीं किया जा सकता।"

- गै.मु. नाला (बाला) भी किसी भी सूरत में आवंटन, नियमन नहीं किया जा सफता इससे प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है जैसे कि State of Rajasthan Vs Davender Singh 1984 RRD 277 में उल्लेख है कि

Bala is a minni nalla, on other words a Bala is small rained stream which ultimately joins a Nala. These Balas will always traverse through the fields of same khatedar or the other. They constitute a natural system of drainage and cannot be allowed to be blocked by any person not earn they be recorded in the khatedari of adjoining cultivator. To do so will amount of blocking the natural system of drainage with disatrous consequences. Even if it was permissible to record khatedari in respect of such Balas, the same could not be granted by the Tehsildar.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

A 3/3 (21)

- RTA 1955 की धारा 16 (vi) में Public purpose or public utility की भूमि में खातेदारी अधिकार किसी भी दशा में यथा आवंटन / नियमन से नहीं दिये जा सकते है जैसा कि Durgalal Vs. Mandir Shri Sanischarji Maharaj 1984 RRDI, A/R 1957 SC 133 Relied on में सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है कि :— Public purpose or Public utility :-

The acquisition of khatedari rights under the provisions of secton 13, 15, 19 of the Tenancy Act 1955. Act are not only subject to specific restriction enshrined in these sections it self but is also Subject to the prohibitions of inner alia section 16(vi) thereof, under this provision khatedari rights can not accure in public purpose or a work of Public utility. The words public purpose or public utillty have not been defined in the Raj. Tenancy Act 1955.

- इस प्रकार RTA 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में आवंटन / नियमन आदेश आदितः (Ab- Initio) प्रभावशून्य है एवं निरस्तनीय है जैसा कि इस धारा में ही उल्लेख है —

RTA- Sec- 16 Land in which khatedari rights shall not accure —

Not with standing any thing in this Act or (in any other Law or enactment for the time being in force in any part of the state) khatedari rights shall not acture in-

(i)Ghair mumkin Tank

(ii)Land covered by water and used for the purpose of public utility-

(iii) Land acquired or held for a public purpose or a work of public utility-

इस प्रकार उल्लेख है कि :—

Land reserved for flow water cannot be alloted on the basis of long possession 4(i) and allotment rules-

इस प्रकार उक्त शासकीय भूमि की खातेदारी प्रारम्भतः ही विधि विपरीत प्रदान की है जो आवंटन / नियमन आदि आदेश RTA 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

- अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की अनुपालना एवं उक्त भूमि लोक उपयोग की होने से रेफरेन्स प्रकरण उक्त नामान्तरकरण के जरिये प्रदत्त खातेदारी / गैर खातेदारी का निरस्त कर उल्लेखित भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज की जावे।

  सेवार्पित है। कृपया रेफरेन्स स्वीकार करावें।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड खतोनी बंदोबस्त ग्राम पांचवा संवत् 2008 से 2027 के अनुसार खसरा नं. 602 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा गैरमुमकिन नाडी दर्ज है। नामांतरकरण सं. 526 द्वारा खसरा नं. 602 के द्वारा 1 बीघा पर भूरदास पुत्र बालदास को गैर खातेदार दर्ज किया गया। गत खसरा संख्या 602 के नये खसरा नम्बर 507/337 रकबा 0.16 हैक्टयर किस्म बारानी। दर्ज है।

इस प्रकार मौजा पांचवा की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि संवत् 2008 से 2027 तक उक्त भूमि गैरमुमकिन नाडी दर्ज सुदा भूमि रही है। जो जल स्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते है। अतः नामांतरकरण सं. 526 के द्वारा दर्ज भूरदास पुत्र बालदास रकबा 1 बीघा के नाम दर्ज की गई खातेदारी अवैध एवं खारिज योग्य हैं।

रेफरेन्स माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी० बी० सिविल रिट याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 02.08.04 की पालना में पेश किया गया है। जिसमें समय सीमा एवं अन्य उजरात मान्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि मौजा पांचवा के खसरा नं. 602 जिसके नये खसरा नम्बर 507/337 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

30.7.2024

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:09 IST
Reason: SelfAttested